न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 07/2024

जीसीएमएस नम्बर :: 2024/53

अपीलाण्ट्स :–

मृत गीतादेवी पुत्री जगनाथराम पत्नी हरदेवराम, जाति जाट, निवासी 27–बी, अखे निवासी – आहुजा कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड़, जोधपुर (राज.) के वारिसान :–

1. राहुल चौधरी पुत्र हरदेवराम, जाति जाट, निवासी 27–बी, अखे निवासी आहुजा कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड़, जोधपुर (राज.)
2. श्रीमती लीला पुत्री हरदेवराम पत्नी गोपाराम जाति जाट निवासी डांगीयावास, तहसील व जिला जोधपुर (राज.)
3. श्रीमती रेखा पुत्री हरदेवराम पत्नी प्रधान, जाति जाट, निवासी मकान संख्या 23, अखे निवास आहुजा कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड़, जोधपुर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. ढ़लाराम पुत्र जगनाथराम जाति जाट निवासी भुरियासनी तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
2. मृत मांगीलाल पुत्र जगनाथराम जाति जाट, निवासी भुरियासनी, तहसील रोहट जिला पाली (राज.) के वारिस :–

   2/1. सुमेरराम पुत्र मांगीलाल

   2/2. श्रीमती घीसीदेवी पत्नी मांगीलाल, जातिगण जाट निवासीगण भुरियासनी, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)

   2/3. श्रीमती लीला पुत्री मांगीलाल पत्नी गणपत,

   2/4. श्रीमती सुखी पुत्री मांगीलाल पत्नी कानाराम, जातिगण जाट निवासीगण खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.)

   2/5. श्रीमती खमली पुत्री मांगीलाल पत्नी भंवरलाल, जाति जाट निवासी भटिण्डा तहसील बनाड़, जिला जोधपुर
3. मृत बाबूलाल पुत्र जगनाथराम, जाति जाट निवासी भुरियासनी तहसील रोहट जिला पाली के वारिसान् :–

   3/1. सोहनलाल पुत्र बाबूलाल

   3/2. श्रीमती उगली देवी पत्नी बाबूलाल, जातिगण जाट, निवासीगण भुरियासनी, तहसील रोहट, जिला पाली

   3/3. श्रीमती मीमा पुत्री बाबूलाल पत्नी बलदेवराम, जाति जाट, निवासी बिनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज.)
4. श्रीमती चम्पा पुत्री जगनाथराम पत्नी भींयाराम, जाति जाट, निवासी लालकी, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
5. श्रीमती शान्ति देवी पुत्री जगनाथराम, पत्नी गिरधारीराम, जाति जाट, निवासी डांगीयावास, तहसील व जिला जोधपुर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धनश्याम सिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित

रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम हरियाल व श्री रमेश राम मोटड़ा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 27.05.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम भुरियासनी, पटवार हल्का कलाली, तहसील रोहट के नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 23.10.2001 जो नायब तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धनश्याम सिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित व रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम हरियाल वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम भुरियासनी पटवार हल्का कलाली के खसरा संख्या 99 से 105, 109 व 113 कुल रकबा 60 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि जगनाथराम पुत्र जोगाराम जाति जाट के 1/4 हिस्से की खातेदारी की स्थित थी। जगनाथराम की मृत्यु लगभग सन् 2001 में हुई थी। जगनाथराम की मृत्यु के समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान् तीन पुत्र क्रमशः ढ़लाराम, मांगीलाल, बाबूलाल व तीन पुत्रिया क्रमशः गीतादेवी, चम्पा एवं शान्तिदेवी जीवित थे परन्तु जगनाथराम के हिस्से की 1/4 भूमि के विरासत का नामान्तरकरण मात्र रेस्पो. संख्या 01 से 03 जो कि जगनाथराम के पुत्र थे उन्ही के नाम स्वीकृत किया जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार सभी विधिक उत्तराधिकारियों का हिस्सा कानूनन था। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। जैर नामान्तरकरण अपीलाण्ट मृत गीतादेवी को नोटिस दिये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना विधिक कार्यवाही किये एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। अतः जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज होने से निरस्त फरमावे व जगनाथराम के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने बाबत् आदेश पारित करावे, अन्य अनुतोष बहक अपीलाण्ट्स हो रेस्पोडेण्ट्स से दिलाया जावे। इसके संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त 2011(1)RRT 423, 2012(2)RRT 850, 2018–19 RRT 145, 2024(1)RRT 82, 2022(1) RRT 493, 1998 RRD 319, 2021(4) DNJ(SC) 1167 व 2020(3) DNJ 817(SC) पेश किये।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण विधिनुसार ही स्वीकृत किया गया है। जैर नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 23.10.2001 को स्वीकृत हुआ यानि उक्त अपील लगभग 23 वर्ष बाद प्रस्तुत हुई है जो कि पूर्णतया मियाद बाहर है। अतः अपीलाण्ट द्वारा आधारहीन अपील प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स द्वारा अपील विलम्बित होने का कथन किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट का

जगनाथराम की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री को भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। तदनुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट्स अपनी माता स्व. गीतादेवी को मृतक जगनाथराम की पुत्री होने व उसे विरासत के अपीलाधीन निर्णय में वंचित करने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत करता है। पत्रावली में पेशशुदा दस्तावेजात यथा मृत्यु प्रमाण–पत्र से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स की माता स्व. गीतादेवी की मृत्यु दिनांक 21.04.2021 को हुई अर्थात् स्व. ज़गनाथराम की मृत्यु के समय गीतादेवी जीवित थी। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक की सम्पति में पुत्री का हक भी होता है जिससे जैर नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है। स्पष्टतया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 23.10.2001 विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, रोहट को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में मृतक जगनाथराम के विधिक वारिसान् की उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.07.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **27.05.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली